न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 09/2018/अपील

1. शंकरलाल रणवां पुत्र स्व. श्री भगवान सहाय जाति जाट निवासी सांवत का बास (बुच्यासी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अपीलांट

ब ना म

1. ओमप्रकाश
2. महावीर प्रसाद } पुत्रगण स्व. रामेश्वरलाल
3. श्यामसुन्दर
4. मदनलाल } पुत्रगण स्व. जगदीश प्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवास खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. गीता देवी पुत्री रामेश्वरलाल स्त्री नाथूलाल
6. सुरजी देवी पुत्री रामेश्वरलाल स्त्री मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी खेड़ी जाजोद तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
7. शान्ति देवी धर्मपत्नि रामेश्वरलाल जाति बलाई निवासी ठिकरिया तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8. ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी जरिये सरपंच।

—रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 06.09.70 ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी
बाबत स्वीकार करने नामान्तकरण संख्या 666
ग्राम पंचायत खाटू तहसील दांतारामगढ

उपस्थिति—

1. श्री मूलचन्द धायल, वकील अपीलांट की ओर से।
2. श्री सी.एम.शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की ओर सें तथा शेष रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक— 03.02.2020

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 1423/1 रकबा 0.60 हैक्टर तन ग्राम खाटूश्यामजी में स्थित है जिसके वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

खसरा नम्बर 2082/3827 रकबा 0.44 है0 व खसरा नम्बर 879/4019 रकबा 0.06 है0 किता 2 कुल रकबा 0.50 हैक्टर है। उक्त आराजी सरकारी भूमि होकर आबादी के लगती हुई है जिसके एक तरफ शमसान भूमि है तथा एक तरफ स्कूल का खेल मैदान व पशु चिकित्सालय है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 का भाई व पिता जगदीश प्रसाद जो पटवारी था जिसने बिना आवंटन /नियमन कमेटी के आदेश के ही अपने करीबी तत्कालीन पटवारी हल्का खाटू हर्षनारायण व तत्कालीन सरपंच बंशीधर जो उसका जाति भाई व खास आदमी था उससें विवादित आराजियात का नामांतकरण अपने पिता रामेश्वरलाल जो विवादित आराजी के आवंटन/नियमन की पात्रता ही नहीं रखता था के पक्ष में भरवाकर ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार का नामांतकरण न होते हुए भी नामांतकरण स्वीकृत की आज्ञा विरूद्ध कानून दिनांक 06.09.70 को पारित करवा ली। अतः योग्य ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी की आज्ञा दिनांक 06.09.70 व इसके आधार पर स्वीकृत नामांतकरण संख्या 666 ग्राम खाटू के विरूद्ध अपीलांट की ओर सें अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई– 1. ग्राम पंचायत की आज्ञा सर्वथा गलत विरूद्ध कानून व विरूद्ध रिकॉर्ड व पत्रावली होने सें निरस्तनीय है। 2. विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 1423/2 रकबा 0.60 हैक्टर तन ग्राम खाटू पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 के पूर्वज रामेश्वरलाल का कभी कब्जा व अधिकार नहीं नहीं रहा तथा उसके पास ग्राम खाटू व ग्राम अलोदा व अन्य गांवों में काफी काश्त की भूमियां रही है तथा वह विवादित आराजी का आवंटन करवाने की पात्रता भी नहीं रखता था फिर भी उसके हक में विवादित आराजी की खातेदारी अंकित करने में गलती की है। 3. अपील में नामांतकरण संख्या 666 के कॉलम नं0 14 में केवल शब्द " व आदेश तहसील " का नोट लगा हुआ है किसके द्वारा कैसा आदेश दिया गया कुछ भी उसमें आगे नहीं लिखा फिर भी गिरदावर हल्का व तत्कालीन सरपंच ने किसी प्रकार की जांच किये बिना ही अपनी आज्ञा जैर अपील पारित करने में गलती की है। 4. आज्ञा जैर अपील का क्षेत्राधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को न होते हुए भी नामांतकरण आज्ञा जैर अपील पारित करने में गलती की है। 5. योग्य ग्राम पंचायत ने बिना आवंटन/नियमन आदेश की जानकारी किये ही मात्र पटवारी हल्का व गिरदावर की सरसरी रिपोर्ट को ही सही मानकर आज्ञा जैर अपील पारित करने में गलती की है। 6. योग्य ग्राम पंचायत ने नामांतकरण जैर अपील स्वीकार करने सें पूर्व विवादित आराजी के कब्जे के संबंध मे कोई जांच नहीं की। विवादित भूमि पर मृतक रामेश्वरलाल का कोई कब्जा व अधिकार न होते हुए व सार्वजनिक उपयोग में आ रही भूमि का योग्य ग्राम पंचायत ने उसके हक में नामांतकरण स्वीकार करने में गलती की है आदि। योग्य ग्राम

पंचायत ने नामांतकरण जैर अपील स्वीकार करने की सारी कार्यवाही गोपनीय ढंग से की है जिसकी जानकारी पूर्व में नहीं हो सकी दिनांक 28.05.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ओमप्रकाश विवादित भूमि पर आया व अपीलांट जो अपनी पट्टा शुदा भूमि जो द्वारिका प्रसाद पुत्र श्यामदास स्वामी निवासी खाटूश्यामजी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कयशुदा भूमि होकर आबादी की भूमि है में खड़ा था आया व अपीलांट को कहा कि विवादित भूमि का खाता हमारे भाई जगदीश प्रसाद ने हमारे पिता के हक में सन् 1974 को ही करवा दिया था अब हम उस खातेदारी के आधार पर विवादित आराजी पर कब्जा कर निर्माण करेंगे व भूखण्डों में इसें विक्रय करके रहेंगे व एक भूखण्ड रेस्पोडेन्ट संख्या 7 शांति देवी को विक्रय भी कर दिया व अपीलांट को जो उसकी विवादित भूमि के लगते हुए पट्टे की भूमि है उस पर भी इस खातेदारी के आधार पर कब्जा करेंगे या किसी भूमाफिया को कब्जा करवा देंगे। जिस पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय से समस्त कागजात की नगल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नामांतकरण जैर अपील दिनांक 06.09.70 के अलावा अन्य आदेश नियमन/आवंटन की अपीलांट को कोई नकल नहीं मिली अतः अपीलांट ने नामांतकरण जैर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर व कानूनी सलाह लेकर तत्काल अपील प्रस्तुत कर रहा है। पूर्व में आज्ञा जैर अपील की अवधि भीतर अपील प्रस्तुत करने में मजबूरी रही है। अपीलांट के हितों की रक्षा के लिए व सही निर्णय व न्याय के लिए अपीलांट को मियाद का फायदा दिया जाना आवश्यक है, जिसके लिए आवेदन दफा 5 कानून मियाद मय शपथपत्र साथ प्रस्तुत है। ग्राम पंचायत द्वारा विवादित आराजी के नियमन/आवंटन करने के बाद रामेश्वरलाल का देहान्त हो गया, जिसके रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 6 वारिशान है व उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के हक में एक नुमाईशी व साजसी विकय पत्र तहरीर व तकमील करवा दिया अतः उन्हें रेस्पोडेन्ट्स बनाया है। अन्य वारिशान की जानकारी नहीं हो सकी है जानकारी होने पर उन्हें पक्षकार संयोजित करने का अपीलांट अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। अतः अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य ग्राम पंचायत की आज्ञा जैर अपील दिनांक 06.09.70 निरस्त फरमाई जाकर उसके आधार पर स्वीकृत नामांतकरण संख्या 666 ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ को खारिज फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से वकील श्री सी.एम.शर्मा हाजिर आये तथा शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील रेस्पोडेन्ट को

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

बार बार आवाज लगाने के बावजूद बहस हेतु हाजिर नहीं आने के कारण अपील पर बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य ग्राम पंचायत की आज्ञा जैर अपील दिनांक 06.09.70 निरस्त फरमाई जाकर उसके आधार पर स्वीकृत नामांतकरण संख्या 666 ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ को खारिज फरमाया जावे।

3. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। **अपीलांट द्वारा नामांतकरण संख्या 666 दिनांक 06.09.70 ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी को आक्षेपित किया गया। नामांतकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि सें स्पष्ट है कि नामांतकरण जिल्द पर मुताबिक आदेश तहसील लिखा गया है। अपीलांट द्वारा केवल नामांतकरण जिल्द की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है एवं अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससें यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी द्वारा नामांतकरण संख्या 666 दिनांक 06.09.70 गलत रूप सें भरा गया और न ही अपील में तहसीलदार दांतारामगढ को पक्षकार बनाया गया है जिससें नामांतकरण जिल्द में लिखे मुताबिक आदेश तहसील के बारे में जानकारी प्रापत की जा सके। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आक्षेपित नामांतकरण की विधिक स्थिति के बारे में निर्णय नहीं किया जा सकता। अतः अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या 666 दिनांक 06.09.70 ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner